

प्रेषक

अनिल कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन 30प्र0, कानपुर।
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त जिलाधिकारी,,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 29 अगस्त, 2017

विषय:- उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में शासकीय विभागों के उपयोगार्थ सामग्री व सेवाओं की क्रय व्यवस्था हेतु प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा विकसित आनलाइन प्लेट फार्म Government e-Market Place, जेम (GeM) अंगीकार किया गया है। इस संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 23 अगस्त, 2017 एवं उसके क्रियान्वयन एवं जेम पर पंजीकरण हेतु शासनादेश संख्या-12/2017/540/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 25 अगस्त, 2017 निर्गत किये गये हैं, जो शासकीय शासनादेश वेबसाइट shasanadesh.up.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

2- यह स्वतः स्पष्ट ही है कि जेम पर उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री एवं सेवाओं की उपलब्धता अधिकाधिक संतोषजनक आपूर्तिकर्ताओं के जेम पर पंजीकरण तथा उनके मध्य स्वस्थ प्रतिपस्पर्द्धा से ही सम्भव है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में आपके विभागों द्वारा जिन आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री एवं सेवाओं का क्रय किया जा रहा है, उनका यथापेक्षित परीक्षण कराकर उन्हें जेम (GeM) पोर्टल पर पंजीकरण हेतु प्रोत्साहित करने का कष्ट करें,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइत.स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

जिससे कि जेम (GeM) पोर्टल पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री एवं सेवाओं की उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित हो सके।

भवदीय

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-14/2017/552(1)/18-2-2017, तद्विनांक

प्रतिलिपि श्रीमती एस0 राधा चौहान, मुख्य अधिशासी अधिकारी, गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस, जेम (GeM), डिपार्टमेन्ट ऑफ कामर्स, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत .स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।